कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाडा (म0प्र0)

क्रमांक–Q-58 / जि0न्या0छिं0 / 2020 छिंदवाड़ा दिनांक 16.05.2021

विविध आदेश

छिंदवाड़ा जिले में कोविड–19 के संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में जिला दण्डाधिकारी, छिंदवाड़ा ने आदेश दिनांक 15.05.2021 के द्वारा संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में दिनांक 17.05.2021 की प्रातः 6.00 बजे से 24.05.2021 के सुबह 6.00 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के एस.ओ.पी. क्रमांक–ए / 113, दिनांक 15.01.2021 एवं क्र.–ए / 149, दिनांक 03.04.2021 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं बी.पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा, कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये दिनांक 17.05.2021 से 21.05.2021 तक जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा (परिवार न्यायालय एवं श्रम न्यायालय सहित) एवं उसकी समस्त तहसीलों के लिये सीमित कार्य किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं :–

1– इस दौरान अत्यावश्यक प्रकृति (जमानत, सुपुर्दनामा, धारा 164 के कथन, रिमाण्ड, अंतिम प्रतिवेदन, अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जो न्यायालय के मत में त्वरित सुनवायी योग्य हों) के मामलों की सुनवायी केवल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की जावेगी। आवश्यक कार्य निष्पादित कर रहे न्यायाधीश अपवादित स्थिति (व्ही.सी. से सुनवायी न होने की स्थिति) में कोविड–19 के दिशा–निर्देशों के अधीन भौतिक सुनवायी कर सकेंगे।

2– उक्त अवधि में जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश / समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के न्यायालयों में न्यायिक कार्य सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 / व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के न्यायालयों में न्यायिक कार्य दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा।

3– समस्त न्यायालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। कार्यालय / अनुभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक रोटेशन के आधार पर रहेगी।

4– जिन कर्मचारियों की ड्यूटी उक्त अवधि में न्यायालय / अनुभाग में नियत न हो वे अपने आवास पर रहकर मोबाइल चालू रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी द्वारा बुलाया जा सकता है साथ ही कोई भी कर्मचारी / अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।

5– उक्त अवधि के लिये समस्त न्यायालयों जिनमें तहसील न्यायालय भी शामिल हैं, के प्रकरण सुनवायी हेतु निम्नानुसार आगामी नियत तिथियों पर लिये जायेंगे :–

क्र0	नियत तिथि	आगामी तिथि
1–	17.05.2021	11.06.2021
2–	18.05.2021	14.06.2021
3–	19.05.2021	15.06.2021
4–	20.05.2021	16.06.2021
5–	21.05.2021	17.06.2021
6–	22.05.2021	18.06.2021

यदि पीठासीन अधिकारी किसी प्रकरण को सुनवायी हेतु उपरोक्त तिथियों के अतिरिक्त किसी अन्य दिन नियत करना चाहे तो संबंधित पक्षकार / अधिवक्ता को उसकी सूचना दें।

6– म0प्र0शासन के आदेश क्रमांक एफ–तीन–4 / 2010 / 1 / 4 भोपाल, दिनांक 08 अप्रैल 2021 के अनुसरण में शनिवार दिनांक 22.05.2021 को समस्त न्यायालयों जिसमें परिवार न्यायालय भी शामिल हैं, का न्यायिक कार्य स्थगित रहेगा। इस दिन अर्जेंट प्रकृति के मामलों की सुनवाई 3 से 5 बजे तक की जायेगी, जिसके संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पृथक से आदेश जारी करेंगे।

7– ऐसे सिविल व आपराधिक मामले जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण के आदेश दिये गये हैं, ऐसे प्रकरणों में संबंधित पीठासीन अधिकारी आदेश के पालन में वर्चुअल सुनवायी करेंगे।

8– ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अति आवश्यक व्यवहार वाद की सुनवायी के लिये म0प्र0सिविल कोर्ट एक्ट की धारा–21 के अंतर्गत आवेदन कार्यरत ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश के समक्ष

प्रस्तुत किये जायेंगे और उक्त आवेदन उनके द्वारा ही निराकृत किये जायेंगे, कि प्रकरण ग्रीष्मकालीन अवकाश में सुनवायी योग्य हैं या नहीं।

9— उक्त अवधि में यथासंभव समस्त अर्जेंट प्रकृति के मामलों की सुनवाई व्ही.सी. / अन्य वर्चुअल माध्यम से की जायेगी। पक्षकार / अधिवक्तागण जमानत व अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के अन्य आवेदन पत्र ई—मेल के माध्यम से आई.डी royalamit21@gmail.com पर भेज सकेंगे। ई—मेल करने अथवा व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई में समस्या उत्पन्न होने पर जूनियर सिस्टम एनालिस्ट श्री अमित बावने मोबाइल नंबर 9425871458 एवं श्री विजय शेरके, डी.एस.ए. 9424949804 पर संपर्क करें। तहसील स्तर पर सुपुर्दगी व जमानत आवेदनपत्र तहसील न्यायालयों में पदस्थ आई.टी. असिस्टेंट / एस.ए. की निम्नानुसार ईमेल आई.डी. पर भेजे जायेंगे।

तहसील	ई—मेल आई.डी.	आई.टी.असिस्टेंट	मोबाईल नंबर
सौंसर	ramgopaljbp@gmail.com	श्री रामगोपाल जंघेला	9406773259
पांढुर्णा	vishal.itasist@gmail.com	श्री विशाल रामटेके	8839726382
परासिया	amshukla07@gmail.com	श्री अंशुमन शुक्ला	9479485777
जुन्नारदेव एवं तामिया	sourabh.sharma4640@gmail.com	श्री सौरभ शर्मा	8989489640
अमरवाड़ा	mahendrakumar_jhariya@yahoo.com	श्री महेन्द्र झारिया	9770348884
हर्रई	harricourt2021@gmail.com	श्री संतोष झारिया	8109976693
चौरई	praveen21mar@gmail.com	श्री प्रवीण झारिया	8818992099

10— कोविड—19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्र.—Q-47 दिनांक 27.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 17.05.2021 से 21.05.2021 के लिये प्रभावशील रहेगा। तत्पश्चात् अन्य आदेश के अभाव में न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्र.—Q-47, दिनांक 27.03.2021 अनुसार की जावेगी।

(बी0पी0 शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1— माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3— अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील— सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4— समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

5— पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।

6— जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7— जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

8— प्रभारी अधिकारी / सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई—मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब—साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

9— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने हेतु।

10— कोविड—19 के बचाव हेतु गठित कमेटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11— कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

(बी0पी0 शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा